संख्या-38/2024/587/12-5099/17/2024(पार्ट-2)

प्रेषक,

डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 29 मई, 2024**

विषय:- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) योजना की वित्तीय वर्ष 2024-25 की संशोधित कार्ययोजना की प्रशासकीय स्वीकृति के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-4/2024/41/12-5-2024/12-5099/42/2021, दिनांक 12.01.2024 द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम0-कुसुम) योजना के अन्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना हेतु निविदा मूल्य पर 60 प्रतिशत अनुदान पर (बेन्चमार्क मूल्य पर केन्द्रांश एवं राज्यांश तथा अवशेष धनराशि राज्य सरकार के टाप-अप द्वारा) कृषकों के प्रक्षेत्रों पर स्टैण्ड एलोन सोलर पम्पों की स्थापना हेतु वर्ष 2023-24 से 2024-25 तक टाप अप की कार्ययोजना को मा0 मंत्रि-परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके क्रम में शासनादेश संख्या-188/2024/12-5099/17/2024, दिनांक 20.02.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- तद्क्रम में आपके पत्रांक-सोलर/115/पी0एम0कुसुम/कार्य0यो0/2024-25, दिनांक 22 मई, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) योजना की वित्तीय वर्ष 2024-25 की संशोधित कार्ययोजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

1. प्रदेश में सिंचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्रों में नये एवं पूर्व से प्रयोग किये जा रहे डीजल पम्पसेट तथा अतिदोहित/क्रिटिकल क्षेत्रों में उपलब्ध डीजल पम्पसेट को परिवर्तित कर 2 एच0पी0 (डी0सी0/ए0सी0) से 10 एच0पी0(डी0सी0/ए0सी0) तक के स्टैण्ड एलोन सोलर पम्पों की स्थापना करायी जाए। भारत सरकार के मिनिस्ट्री आफ न्यू एण्ड रिन्यूवेबल एनर्जी द्वारा "प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम0-कुसुम) की निर्गत गाइडलाइन के अनुसार प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत सोलर पम्पों की स्थापना से जहाँ एक ओर विद्युत ऊर्जा की बचत होगी, वहीं सोलर पम्प के संचालन के लिए ईंधन आदि का कोई आवर्ती व्यय नहीं होगा।

2-योजना का उद्देश्य:-

स्टैण्ड एलोन सोलर पम्पों की स्थापना के उद्देश्य निम्नवत् है:-

- जलवायु परिवर्तन के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन की तीव्रता को कम करना।
- सोलर पम्प की स्थापना से सिंचाई लागत को कम करना।
- विद्युत रहित क्षेत्र में उपलब्ध डीजल पम्प अथवा सिंचाई के अन्य साधनों के स्थान पर सोलर पम्प से सिंचाई को बढ़ावा देना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3-अनुदान का विवरणः-

अ-केन्द्रीय अनुदान

भारत सरकार के मिनिस्ट्री आफ न्यू एण्ड रिन्यूवेबल एनर्जी के पत्र संख्या-32/645/ 2017-एस.पी.वी. डिविजन, दिनांक 22.07.2019 द्वारा निर्गत गाइडलाइन एवं पत्र संख्या-32/645/2017-एस.पी.वी. डिविजन, दिनांक 17.01.2024 द्वारा निर्गत कम्प्रेहेन्सिव गाइडलाइन तथा एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार, नई दिल्ली के बिड डाक्यूमेन्ट संख्या-RFS No. SECI/C&P/MI/00/0010/2022-23 Dated 31.12.2022 के अनुसार बेन्चमार्क मूल्य पर 02 एच0पी0 से 7.5 एच0पी0 तक के स्टैण्ड एलोन सोलर पम्पों की स्थापना पर 30 प्रतिशत तथा 10 एच0पी0 के सोलर पम्प पर 7.5 एच0पी0 का केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

ब-राज्य अनुदानः-

शासनादेश संख्या-4/2024/41/12-5-2024/12-5099/42/2021, दिनांक 12.01.2024 द्वारा सोलर पम्प स्थापना हेतु मा0 मंत्रि-परिषद से स्वीकृति के अनुसार स्टैण्ड एलोन सोलर पम्प के कुल मूल्य(टेण्डर मूल्य) पर केन्द्र सरकार के अनुदान को सम्मिलित करते हुए कृषकों को 60 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य कराये जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि को राज्य सरकार के अनुदान में टाप-अप के रूप में सम्मिलित करते हुए 2 एच0पी0 से 7.5 एच0पी0 तक के सोलर पम्पों पर कुल 60 प्रतिशत अनुदान तथा 10 एच0पी0 सोलर पम्प पर 7.5 एच0पी0 पर अनुमन्य 60 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

कृषि अवस्थापना निधि के अन्तर्गत स्टैण्ड एलोन सोलर पम्पों हेतु इच्छुक कृषक आवश्यक कृषक अंश का बैंक से ऋण लेकर धनराशि जमा कर सकते हैं, जिस पर केन्द्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 3 प्रतिशत कुल 6 प्रतिशत की छूट ब्याज में प्रदान किये जाने का प्राविधान है। सम्बन्धित इच्छुक कृषक ब्याज में छूट हेतु अपनी नजदीकी बैंक शाखा से सम्पर्क कर उक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बैंक द्वारा ए0आई0एफ0 पोर्टल पर कृषकों का नाम फीड करना होगा, उसके अनुसार केन्द्र/राज्य का अनुदान दिया जायेगा।

4-कार्यक्षेत्रः- प्रदेश के समस्त 75 जनपद।

5-भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यः-

अ- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्रति पम्प अनुदान, टाप-अप एवं कृषक अंशः-

एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-32/645/2017/एस0पी0वी0डिवीजन, दिनांक 25.07.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी दरें एवं पत्रांक-32/24/2020-एस0पी0वी0 डिवीजन, दिनांक 04.09.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी बेन्चमार्क मूल्य के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु सोलर पम्पों का क्षमतावार अनुदान, टाप-अप एवं कृषक अंश का विवरण निम्नवत् हैः-

(धनराशि रू0 में)

क्र सं	सोलर पम्प का प्रकार	निविदा मूल्य प्रति पम्प जी0एस0टी0 सहित (यू0एस0पी0 रहित)	बेन्चमार्क मूल्य प्रति पम्प जी0एस0टी0 सहित (यू0एस0पी0सी0 रहित)	केन्द्र अनुदान मूल्य प्रति पम्प (बेन्चमार्क मूल्य का 30 प्रतिशत)	राज्य अनुदान प्रति पम्प			कुल अनुमन्य अनुदान प्रति पम्प (निविदा मूल्य का 60 प्रतिशत)	कृषक अंश
					राज्य अनुदान प्रति पम्प (योजना के दिशा-निर्देशों के आधार पर अनुमन्य बेन्चमार्क मूल्य का 30 प्रतिशत)	अतिरिक्त राज्य अनुदान प्रति पम्प (टाप-अप)	कुल राज्य अनुदान प्रति पम्प		
1	2 एच0पी0 डी0सी0 सरफेस पम्प	171716	145797	43739	43739	15552	59291	103030	68686
2	2 एच0पी0 ए0सी0 सरफेस पम्प	171716	145797	43739	43739	15552	59291	103030	68686
3	2 एच0पी0 डी0सी0 सबमर्सिबल पम्प	174541	145797	43739	43739	17247	60986	104725	69816

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4	2 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	174073	145797	43739	43739	16966	60705	104444	69629
5	3 एच0पी0 डी0सी0 सबमर्सिबल पम्प	232721	190523	57157	57157	25319	82476	139633	93088
6	3 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	230445	190523	57157	57157	23953	81110	138267	92178
7	5 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	327498	293500	88050	88050	20399	108449	196499	130999
8	7.5 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	444094	397806	119342	119342	27772	147114	266456	177638
9	10 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	557620	506960	119342	119342	27772	147114	266456	291164

नोट- जी0एस0टी0 की दरें घटने/बढ़ने पर राज्यांश, केन्द्रांश एवं कृषक अंश प्रभावित होगा, जिसका शासन से अनुदान प्राप्त कर दरों को संशोधित किया जायेगा।

<u>ब-वित्तीय वर्ष 2023-24 के अवशेष लक्ष्य:-</u>

वित्तीय वर्ष 2023-24 के अवशेष सोलर पम्पों की स्थापना एवं भुगतान वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया जायेगा, जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

क्र0सं0	सोलर पम्प का प्रकार	वित्तीय वर्ष 2023-24 के अवशेष सोलर पम्पों की स्थापना एवं भुगतान का टाप-अप सहित विवरण	
		संख्या	धनराशि लाख रू0 में
1	2 एच0पी0 डी0सी0 सरफेस पम्प	960	569.194
2	2 एच0पी0 ए0सी0 सरफेस पम्प	1215	720.386
3	2 एच0पी0 डी0सी0 सबमर्सिबल पम्प	478	291.513
4	2 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	615	373.336
5	3 एच0पी0 डी0सी0 सबमर्सिबल पम्प	2135	1760.863
6	3 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	3842	3116.246
7	5 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	6695	7260.661
8	7.5 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	2297	3379.209
9	10 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	929	1366.689
योग		**19166**	**18838.097**

<u>स-वित्तीय वर्ष 2024-25 के भौतिक लक्ष्य एवं अनुदान का विवरण:-</u>

एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-32/54/2018-एस0पी0वी0 डिवीजन(पार्ट-1), दिनांक 01.01.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 50000 अद्द सोलर पम्पों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शासनादेश संख्या-4/2024/41/12-5-2024/12-5099/42/2021, दिनांक 12.01.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 44250 अद्द सोलर की स्थापना हेतु मा0 मंत्रि-परिषद से स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 30000 लक्ष्य के सापेक्ष 21000 कृषकों द्वारा कृषक अंश की संपूर्ण धनराशि जमा की गयी है। इस प्रकार वर्ष 2023-24 के 9000 अदद सोलर पम्पों के अवशेष लक्ष्य तथा कुछ इच्छुक कृषकों द्वारा सोलर पम्प हेतु आवेदन करने के लिये शासनादेश संख्या-188/2024/12-5099/17/2024 दिनांक 20.02.2024 द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 54000 अदद सोलर पम्पों का विज्ञापन प्रकाशित कराने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-32/645/2017/एस0पी0वी0 डिवीजन, दिनांक 25.07.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी दरों के आधार पर भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष अनुदान का विवरण निम्नवत है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(धनराशि लाख रू0 में)

क. सं.	सोलर पम्प का प्रकार	भौतिक (संख्या मे)	बेन्चमार्क मूल्य पर 30 प्रतिशत केन्द्रांश	राज्यांश की धनराशि			टेण्डर मूल्य पर कुल 60 प्रतिशत अनुदान की धनराशि
				बेन्चमार्क मूल्य पर 30 प्रतिशत राज्यांश	टाप-अप राज्यांश	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8(4+7)
1	2 एच0पी0 डी0सी0 सरफेस पम्प	2500	1093.475	1093.475	388.800	1482.275	2575.750
2	2 एच0पी0 ए0सी0 सरफेस पम्प	2500	1093.475	1093.475	388.800	1482.275	2575.750
3	2 एच0पी0 डी0सी0 सबमर्सिबल पम्प	2500	1093.475	1093.475	431.175	1524.650	2618.125
4	2 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	2500	1093.475	1093.475	424.150	1517.625	2611.100
5	3 एच0पी0 डी0सी0 सबमर्सिबल पम्प	6250	3572.313	3572.313	1582.438	5154.750	8727.063
6	3 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	6000	3429.420	3429.420	1437.180	4866.600	8296.020
7	5 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	17000	14968.500	14968.500	3467.830	18436.330	33404.830
8	7.5 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	8000	9547.360	9547.360	2221.760	11769.120	21316.480
9	10 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	6000	7160.520	7160.520	1666.320	8826.840	15987.360
10	विविध व्यय	-	-	-	-	215.000	-
	योग	**53250**	**43052.013**	**43052.013**	**12008.453**	**55060.465**	**98112.478**

नोट-

1. 2 एवं 3 एच0पी0 के सोलर पम्पों के लक्ष्यों को समाहित कर जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किये गये है, जिससे कृषक अपनी सुविधानुसार उपरोक्त सोलर पम्पों में से किसी भी क्षमता के सोलर पम्प का चयन कर सकता है। परिणामस्वरूप राज्यांश की धनराशि कम या अधिक हो सकती है।
2. क्षमतावार, संस्थावार एवं जनपदवार लक्ष्यों का निर्धारण मुख्यालय स्तर से कृषि निदेशक उ0प्र0 के अनुमोदनोंपरान्त योजनाधिकारी द्वारा किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन के दौरान किसी भी प्रकार के लक्ष्य में संशोधन की आवश्यकता होने पर कृषि निदेशक के अनुमोदन के उपरान्त योजनाधिकारी द्वारा जनपदवार/क्षमतावार/संस्थावार लक्ष्यों का परिवर्तन किया जायेगा। तद्नुसार विभागीय पोर्टल पर भी संशोधन किया जायेगा, जिससे भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति हो सके।
3. कृषकों द्वारा क्षमतावार सोलर पम्पों की मांग के अनुसार राज्यांश की धनराशि घट/बढ़ सकती है।

6- वर्ष 2024-25 के वित्तीय लक्ष्यः-

(i) वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न क्षमता के कुल 30000 लक्ष्यों के सापेक्ष 21000 कृषकों द्वारा कृषक अंश की संपूर्ण धनराशि जमा की गयी, जिसमें से 1834 स्थापित सोलर पम्पों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2023-24 में किया गया। इस प्रकार वर्ष 2023-24 के अवशेष 19166 अदद स्थापित/स्थापित होने वाले सोलर पम्पों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से किया जायेगा, जिसके लिए कुल राज्यांश(टाप-अप सहित) धनराशि रू० 18838.097 लाख की आवश्यकता होगी।

(ii) वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न क्षमता के कुल 53250 अदद सोलर पम्पों की स्थापना हेतु कुल राज्यांश (टाप-अप सहित) की धनराशि रू० 55060.465 लाख की आवश्यकता होगी। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के अवशेष 19166 अदद सोलर पम्पों एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के 53250 अदद सोलर पम्पों हेतु कुल राज्यांश (टाप-अप सहित) की धनराशि रू० 73898.562 लाख की आवश्यकता होगी।

(iii) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये लक्ष्यों की पूर्ति में वर्ष 2024-25 में लगभग धनराशि रू० 738.98 करोड़ की राज्यांश के रूप में आवश्यकता होगी जबकि योजनान्तर्गत वर्तमान में बजट आवंटन धनराशि रू० 447.30 करोड़ है। अतः आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धनराशि की आपूर्ति पुनर्विनियोजन/अनुपूरक मांग के माध्यम से कराये जाने हेतु प्रस्ताव कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7-लाभार्थी पात्रता एवं चयनः-

पात्रता एवं चयन के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः-

(i) कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर पंजीकृत कृषकों को सोलर पम्प हेतु बुकिंग करनी होगी।

(ii) 22 फिट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 2 एच0पी0 सरफेस सोलर पम्प तथा 50 फिट तक की गहराई पर उपयुक्त जल स्तर हेतु 2 एच0पी0 सबमर्सिबल उपयुक्त होते हैं। इसी प्रकार 150 फिट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 3 एच0पी0 एवं 200 फिट गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 5 एच0पी0 तथा 300 फिट तक गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 7.5 एच0पी0 एवं 10 एच0पी0 के सोलर पम्प उपयुक्त होगें। इसके आधार पर कृषकों को सोलर पम्प हेतु चयन किया जाए।

8- कृषकों की चयन प्रक्रियाः-

(i) सोलर फोटोवोलटैईक सिंचाई पम्प अनुदानित दर पर प्राप्त करने के लिए किसान को विभागीय पोर्टल पर आनलाइन पंजीकृत होना चाहिए। कृषक को विभागीय पोर्टल पर अपने पंजीकरण के सम्मुख क्षमतावार (2 एच0पी0 डी0सी0/ए0सी0, 3 एच0पी0 डी0सी0/ए0सी0, 5 एच0पी0 ए0सी0, 7.5 एच0पी0ए0सी0 एवं 10 एच0पी0 ए0सी0) सोलर पम्प का विकल्प चुनना होगा।

(ii) सोलर पम्प हेतु कृषि विभाग के पोर्टल पर टोकन जारी करने की अलग से व्यवस्था की गयी है।

(iii) कृषकों का चयन टोकन प्रक्रिया के आधार पर ''पहले आओ-पहले पाओ'' के आधार पर किया जायेगा। आवेदन के समय कृषक को रू० 5000/- टोकन मनी के रूप में आनलाइन जमा करना होगा। सोलर पम्प हेतु बुकिंग जनपदवार एवं क्षमतावार आवंटित लक्ष्य के 110 प्रतिशत तक की जायेगी, परन्तु जनपदवार एवं क्षमतावार आवंटित लक्ष्य की सीमा तक ही टोकन कन्फर्म कर अवशेष कृषक अंश जमा करने हेतु टोकन निर्गत किये जाए। यदि कृषक द्वारा टोकन मनी जमा करने एवं टोकन कन्फर्म करने के पश्चात फर्म द्वारा सत्यापन के समय मौके पर उपयुक्त बोरिंग नहीं पायी जाती है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाए और टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जाए।

(iv) टोकन/आवेदन स्वीकृत करने के 14 दिवस के अन्दर कृषक द्वारा अवशेष कृषक अंश की धनराशि आनलाइन/आफलाइन(इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में) जमा करनी होगी। निर्धारित तिथि के अन्दर अवशेष कृषक अंश की धनराशि जमा न करने पर आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा और टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

(v) लक्ष्य अवशेष रहने की दशा में ही प्रतीक्षा सूची के कृषकों के टोकन कन्फर्म किये जाए। लक्ष्य अवशेष न रहने पर सम्बन्धित कृषक को टोकन मनी की धनराशि वापस कर दी जाए।

(vi) टोकन पर कृषक का पंजीकरण संख्या, कृषक का नाम, पिता का नाम, चयनित पम्प की क्षमता तथा टोकन के रूप में जमा की जाने वाली कृषक अंश की धनराशि का अंकन किया जाए।

(vii) बैंक में धनराशि जमा होते ही धनराशि जमा की पुष्टि स्वतः पोर्टल के माध्यम से विभाग, सम्बन्धित फर्म(क्रिटिकल एवं अतिदोहित विकास खण्ड के कृषकों को छोड़कर) तथा सम्बन्धित उप कृषि निदेशक को प्राप्त हो जायेगी। कृषक अंश जमा करने की रसीद कृषकों को आनलाइन उपलब्ध करायी जाए।

(viii) दोहित एवं अतिदोहित क्षेत्रों में नये सोलर पम्पों की स्थापना नहीं की जायेगी, किन्तु यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का प्रयोग कर रहा है तो पूर्व में स्थापित डीजल पम्पसेट को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकता है। किन्तु यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का प्रयोग नहीं कर रहा है तो उसे सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का लाभ प्राप्त करने हेतु उद्यान विभाग का त्रिपक्षीय अनुबन्ध सत्यापन के समय उपलब्ध कराने के पश्चात ही सोलर पम्प का लाभ दिया जाए, अन्यथा टोकनमनी की धनराशि रू० 5000/- जब्त कर ली जाए। अन्य क्षेत्रों के कृषकों को भी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करें ताकि भूमिंगत जल का सही सदुपयोग हो सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ix) क्रिटीकल एवं अतिदोहित विकासखण्डों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के कृषकों की बोरिंग का सत्यापन उप कृषि निदेशक स्तर से कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कृषक द्वारा कृषक अंश की धनराशि जमा करने के पश्चात् ऐसे कृषकों की सूची सीधे फर्म के लागइन पर प्रदर्शित हो जायेगी। फर्म द्वारा बोरिंग/जलस्तर का सत्यापन 7 दिन के अंदर करते हुए तदनुसार सोलर पम्प की स्थापना की कार्यवाही की जाए। क्रिटिकल एवं अतिदोहित क्षेत्रों के कृषकों की बोरिंग का सत्यापन उप कृषि निदेशक द्वारा 7 दिन के अंदर सुनिश्चित कर सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। सत्यापन के समय इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाए कि कृषकों के पास पूर्व से उपयुक्त बोरिंग उपलब्ध है एवं कृषक द्वारा सूक्ष्म सिंचाई का प्रयोग कर रहा है।

(x) कृषकों का चयन एवं सत्यापन के समय यह भी देखा जाए कि 2 एच0पी0 के सोलर पम्प हेतु पंजीकृत किसान के पास 4 इंच, 3 एच0पी0 एवं 5 एच0पी0 के लिए 6 इंच, 7.5 एवं 10 एच0पी0 सोलर पम्प के लिए 8 इंच की क्रियाशील बोरिंग तथा उपयुक्त जल स्तर होने पर ही कृषकों का चयन किया जाए। चयनित कृषक की बोरिंग का व्यास तथा जल स्तर आदि का सत्यापन करते हुए दिनांक सहित सत्यापन रिपोर्ट फर्म/उप कृषि निदेशक द्वारा पोर्टल पर फीड करेगें।

(xi) बोरिंग सत्यापन के समय सोलर पम्प आपूर्तिकर्ता संस्था/उप कृषि निदेशक द्वारा निम्नलिखित प्रारूप पर कृषकों से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा।

<u>प्रारूप</u>

मैं(नाम).....पिता का नाम.....निवासी ग्राम.....वि0ख0.....जनपद.....का निवासी हूँ एवं घोषणा करता हूँ कि मेरे प्रक्षेत्र पर .....एच0पी0 क्षमता के स्थापित सोलर पम्प का स्थल परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि मेरे द्वारा स्थल परिवर्तन किया जाता है तो सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि मुझसे वसूल कर ली जाये।

कृषक का नाम व हस्ताक्षर

(xii) बोरिंग सत्यापन के समय यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कृषक की बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। उन कृषकों, जिनके ट्यूबेल पर सोलर पम्प स्थापित किये जायेंगे उन लाभार्थियों के ट्यूबेल पर पूर्व स्थापित विद्युत कनेक्शन काट दिये जायेंगे। (ऐसे कृषक जिनके ट्यूबवेल पर पूर्व से विद्युत कनेक्शन उपलब्ध हैं उन्हें यू0पी0नेडा द्वारा सोलराइज किया जा रहा है।) जिन कृषकों के ट्यूबेल पर सोलर पम्प की सुविधा दी जाये, ऐसे लाभार्थियों को भविष्य में भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जायेंगे।

(xiii) बोरिंग सत्यापन के समय फर्म द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि कृषक का नाम एवं पता पोर्टल के अनुसार सही हो तभी कृषक के प्रक्षेत्र पर सोलर पम्प की स्थापना करायी जाए।

(xiv) सम्बन्धित संस्था द्वारा चयनित कृषक के प्रक्षेत्र पर भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पी0डी0आई0 (प्री डिस्पैच निरीक्षण) कराते हुए सोलर पम्पों की आपूर्ति एवं स्थापना निर्धारित अवधि में करायी जाए।

(xv) यदि सोलर पम्प आपूर्तिकर्ता संस्था निर्धारित अवधि के अन्दर सोलर पम्पों की आपूर्ति/ स्थापना नहीं करती है, तो क्षमतावार लक्ष्य किसी अन्य इच्छुक संस्था को स्थानान्तरित किये जा सकते हैं।

<u>9-पोर्टल पर सोलर पम्प हेतु निर्धारित प्रक्रियाः-</u>

विभागीय पोर्टल पर पी0एम0-कुसुम योजना हेतु निम्नलिखित व्यवस्था होगीः-

(i) मुख्यालय द्वारा जनपदवार, क्षमतावार एवं संस्थावार सोलर पम्पों के लक्ष्यों का आवंटन।

(ii) कृषको का आनलाइन पंजीकरण(पूर्व से पंजीकृत कृषकों को पंजीकरण की आवश्यकता नही)।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(iii) 2 एवं 3 एच0पी0 के सोलर पम्पों के लक्ष्यों को समाहित कर जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किये जायेगें तथा पोर्टल पर इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करायी जाए, जिससे कृषक द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार सम्बन्धित क्षमता के सोलर पम्प का चयन किया जा सके।

(iv) क्रिटिकल एवं अतिदोहित कृषकों के सत्यापन हेतु नामित कर्मचारियों के नाम का अंकन एवं सोलर पम्प हेतु चयनित कृषक की उप कृषि निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित सत्यापन रिपोर्ट अपलोड किया जाना।

(v) पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था की जाए कि जनपदीय उप कृषि निदेशक एवं मुख्यालय स्तर पर कृषकवार एवं सोलर पम्पों की क्षमतावार सूची पोर्टल पर आनलाइन उपलब्ध हो एवं डाउनलोड भी किया जा सके।

(vi) चयनित लाभार्थी सूची हेतु फर्म को यूजर आई0डी0 पासवर्ड उपलब्ध कराया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित फर्म द्वारा सिर्फ सोलर पम्प से सम्बन्धित चयनित कृषक के सम्बन्ध में ही विवरण देखा जा सके। आपूर्तित एवं स्थापित सोलर पम्प का विवरण फोटोग्राफ(कृषक एवं सोलर पम्प) एवं अन्य विवरण पोर्टल पर अपलोड कराने की व्यवस्था की जाए।

<u>10- स्थापना एवं भुगतान प्रक्रिया:-</u>

(i) आपूर्तिकर्ता फर्म एवं कृषि विभाग(मुख्यालय) के मध्य द्विपक्षीय एम0ओ0यू0 किया जाए, जिसमें सोलर पम्प की स्थापना, उसकी क्रियाशीलता एवं अनुरक्षण आदि का समावेश किया जायेगा।

(ii) सम्बन्धित फर्म द्वारा स्थापित किये जाने वाले सोलर पम्पों का प्री-डिस्पैच निरीक्षण नियमानुसार किया जाए।

(iii) चयनित फर्म द्वारा मैसेज प्राप्त होने के उपरान्त विभागीय पोर्टल से सूची प्राप्त कर लाभार्थी कृषक के प्रक्षेत्र पर निर्धारित अवधि के अन्दर सोलर पम्प की स्थापना सुनिश्चित कराते हुए सोलर पम्प की स्थापना का दिनांक लाभार्थी कृषक का फोटोग्राफ विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराया जाए।

(iv) पोर्टल से सम्बन्धित कार्यों एवं समय-समय पर आने वाली पोर्टल सम्बन्धी समस्याओं के निवारण हेतु सेवा प्रदाता द्वारा इसके लिए अलग से एक भिज्ञ कर्मचारी नियत किया जाए। सेवा प्रदाता का यह दायित्व होगा कि योजना अधिकारी की संस्तुति प्राप्त होने पर पोर्टल से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही उसी दिन पूर्ण कराये।

(v) सोलर पम्प की स्थापना कराकर 01 सप्ताह के अन्दर आपूर्तिकर्ता फर्म बिल एवं सोलर पम्प के हैण्डिग ओवर सर्टीफिकेट तथा स्थापित सोलर पम्प की फोटोग्राफ सम्बन्धित जिले के उप कृषि निदेशक को उपलब्ध करायेगें।

(vi) सोलर पम्प की स्थापना की सूचना प्राप्त होने पर स्थापित सोलर पम्पों का उप कृषि निदेशक अपने जनपद में कार्यरत श्रेणी-2 के अधिकारी/जनपद में स्थिति कृषि विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत वर्ग-1/वर्ग-2/वर्ग-3 के कर्मचारी को समान रूप से आवंटित करते हुए यथा आवश्यकतानुसार सत्यापन कार्य 10 दिवस के अन्दर पूर्ण कराये। निर्धारित समय-सीमा में सत्यापन न कराने वाले उप कृषि निदेशक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाए। फर्म द्वारा दिये गये हैण्डिग ओवर सर्टीफिकेट पर सम्बन्धित फर्म के प्रतिनिधि, सम्बन्धित कृषक, जनपद में कार्यरत श्रेणी-2 के अधिकारी/जनपद में स्थिति कृषि विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत वर्ग-1/वर्ग-2/वर्ग-3 के कर्मचारी तथा जनपदीय उप कृषि निदेशक के हस्ताक्षर होने के उपरान्त सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम तथा सत्यापन का दिनांक पोर्टल पर अंकित करेंगे।

(vii) सम्बन्धित फर्म द्वारा स्थापित सोलर पम्प के मूल्य का बिल केन्द्रांश, राज्यांश एवं कृषक अंश का विवरण बिल में अंकित करते हुए तीन प्रतियों में जनपदीय उप कृषि निदेशक को उपलब्ध कराया जाए। बिलों पर उप कृषि निदेशक की भुगतान हेतु सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु जे0सी0आर0 पर पूर्व व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(viii) फर्म द्वारा क्षमतावार स्थापित सोलर पम्पों का स्काडा पोर्टल पर आर0एम0एस0 इंटीग्रेशन करते हुए साफ्टवेयर जनरेटेड स्थापना रिपोर्ट, आपरेशन एण्ड मेन्टीनेन्स मैनुअल की हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकित प्रति कृषक को प्राप्त कराने का प्रूफ, हैंण्डिंग ओवर सर्टिफिकेट, आर0एम0एस0 से प्राप्त एक सप्ताह की कुशल संचालन की रिपोर्ट सम्बन्धित उप कृषि निदेशक को उपलब्ध करायी जाए।

(ix) फर्म द्वारा बिल की एक प्रति पृथक से सम्बन्धित कृषक को भी उपलब्ध करायी जाए। सत्यापन के उपरान्त उप कृषि निदेशक द्वारा बिल समस्त सम्बन्धित के हस्ताक्षर सहित हैडिंग ओवर सर्टिफिकेट, स्थापित पम्प की कृषक के साथ फोटोग्राफ, जे0सी0आर0 तथा कृषक का फोटोयुक्त आई0डी0 की हार्ड कापी तथा आर0एम0एस0 आदि सम्बन्धित रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध करायी जाए। पोर्टल पर सत्यापनकर्ता का नाम, पदनाम तथा सत्यापन का दिनांक अंकित किया जायेगा साथ ही निम्नलिखित प्रारूप पर सत्यापन आख्या भी उप कृषि निदेशक द्वारा पोर्टल पर अपलोड की जाए :-

<u>सत्यापन आख्या का प्रारूप</u>

कृषक का नाम .....विभागीय पंजीकरण संख्या.....

1. सत्यापन के समय सोलर पम्प मौके पर स्थापित पाया गया।
2. सोलर पम्प क्रियाशील स्थिति में पाया गया।
3. कृषक द्वारा कृषक अंश हेतु बैंक से ऋण प्राप्त किया गया है(हाँ/नहीं), यदि हाँ तो बैंक का नाम.....शाखा.....आई0एफ0एस0सी0कोड.....।

सोलर पम्प को सत्यापित कर भुगतान की संस्तुति की जाती है।

नाम एवं हस्ताक्षर

उप कृषि निदेशक .....जनपद.....

उप कृषि निदेशक के स्तर से आनलाइन सत्यापन प्राप्त होने पर योजनाधिकारी द्वारा स्थापित सोलर पम्पों का भुगतान एम0एन0आर0ई0 की गाइडलाइन/टेण्डर में निहित शर्तो के अनुसार किया जायेगा।

(x) स्थापित सोलर पम्पों के राज्यांश की धनराशि का भुगतान मुख्यालय स्तर पर कोषागार के माध्यम से तथा एम0एन0आर0ई0 भारत सरकार द्वारा बैंक में उपलब्ध करायी गयी धनराशि से केन्द्रीय अनुदान की धनराशि का भुगतान कृषि निदेशक, उ0प्र0 से भुगतान की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त सम्बन्धित संस्थाओं को निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नोडल अधिकारी पी0एम0-कुसुम एवं वित्त नियंत्रक के संयुक्त हस्ताक्षर से सम्बन्धित बैंक के माध्यम से सम्बन्धित फर्म को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जायेगा। कृषक अंश की धनराशि का भुगतान कृषि निदेशक उ0प्र0 से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त सम्बन्धित संस्थाओं को नोडल अधिकारी(पी0एम0-कुसुम) एवं वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी(प्रसार), कृषि भवन, लखनऊ के संयुक्त हस्ताक्षर से सम्बन्धित बैंक के माध्यम से सम्बन्धित फर्म को आर0टी0जी0एस0/ एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से किया जायेगा। भुगतान की प्रविष्टि सम्बन्धित खाते के पासबुक में करायी जायेगी।

(xi) कृषि विभाग द्वारा एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार को केन्द्रांश का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित किया जाए।

(xii) अनुबंध के अनुसार स्थापित सोलर पम्पों की मरम्मत हेतु संस्थाएं सर्विस सेन्टर खोलेंगी तथा टोलफ्री नम्बर कृषक को उपलब्ध करायेंगी। संस्थाएं खराब सोलर पम्पों को तत्काल ठीक करायेंगी। यदि टोलफ्री नम्बर पर शिकायत प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि में शिकायत का निस्तारण नहीं होता है तो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कम्पनी की बैंक गारण्टी जब्त की जा सकती है। समय-समय पर सोलर पम्पों के अनुरक्षण के संबन्ध में संबन्धित जनपदीय उप कृषि निदेशक, निदेशालय को अवगत करायेंगे।

11-मानव संसाधनः-

योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु पोर्टल से सम्बन्धित कार्यो हेतु एक कम्प्यूटर/डाटा इंट्री आपरेटर तथा एक चतुर्थ श्रेणी कार्मिक का चयन आउटसोसिंग के आधार पर जेम पोर्टल से कृषि विभाग द्वारा चयनित फर्म के माध्यम से किया जाए। कम्प्यूटर/डाटा इंट्री आपरेटर एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की शैक्षिक योग्यता एवं मानदेय क्रमशः पारदर्शी किसान सेवा योजना तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना में दिये गये मानक के अनुसार होगी।

12-निगरानी एवं रखरखावः-

आपूर्तिकर्ता फर्म को सोलर पम्प की स्थापना के उपरान्त पाँच वर्ष के लिए निःशुल्क वार्षिक रखरखाव अनुबंध किया जाना अनिवार्य होगा, जिसमें स्थापित सोलर पम्प की बीमा धनराशि भी सम्मिलित है। अनुबंध में सम्बन्धित फर्म को तीन माह में एक बार स्थापित सोलर पम्प का निरीक्षण भी किया जायेगा तथा निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित रूप पत्र पर जनपदीय उप कृषि निदेशक को उपलब्ध कराया जाए। समय से स्थापित सोलर पम्पों के मरम्मत एवं रखरखाव हेतु सम्बन्धित फर्म द्वारा प्रत्येक जनपद में अधिकृत सेवा केन्द्र की स्थापना के साथ हिन्दी/अग्रेंजी में हेल्पलाइन नम्बर भी निर्गत किया जाए। हेल्पलाइन नम्बर, पम्प अथवा कन्ट्रोलर के उपयुक्त स्थान पर अंकित किया जाए जो सोलर पम्प के उपयोगकर्ता को आसानी से दिखाई दे।

13-योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारणः-

योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर उप कृषि निदेशक उत्तरदायी होगें तथा इसका अनुश्रवण मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा किया जायेगा। सोलर पम्प की स्थापना के उपरान्त अधिकारियों द्वारा समय से सत्यापन किया जाए। इस हेतु विलम्ब के लिए सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। उक्त के अतिरिक्त टेक्नोलाजी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, जो भी अभिलेख/सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होनी है, वह आनलाइन प्राप्त किये जाए।

14-अन्य निर्देशः-

(i) सोलर पम्पों की स्थापना, भुगतान एवं अन्य कार्यवाही एम0एन0आर0ई, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-32/645/2017-एस.पी.वी.डिविजन, दिनांक 17.01.2024 द्वारा निर्गत कम्प्रेहेन्सिव गाइडलाइन के अनुसार किया जाए।

(ii) सोलर पम्प का वर्ष में लगभग 150 दिन ही सिंचाई कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। वर्ष के शेष अवधि में सोलर ऊर्जा का उपयोग "यूनीवर्सल सोलर पम्प कन्ट्रोलर" का प्रयोग कर अन्य कार्य जैसे- चारा कटिंग मशीन, आटा चक्की, शीतगृह, बैट्री चार्ज करना आदि कार्यों में भी किया जा सकता है। यूनीवर्सल सोलर पम्प कन्ट्रोलर एवं सोलर पम्पिंग सिस्टम के अतिरिक्त मूल्य के भुगतान का विकल्प कृषक को देना होगा तथा समस्त अतिरिक्त मूल्य का भुगतान कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(iii) योजना के सफल क्रियान्वयन एवं कृषकों में योजना के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से योजना का प्रचार-प्रसार भी किया जाए।

(iv) योजना अधिकारी द्वारा भारत सरकार के मिनिस्ट्री आफ न्यू एण्ड रिन्यूवेबल एनर्जी से प्राप्त केन्द्रांश तथा टोकन के माध्यम से प्राप्त कृषक अंश की धनराशि का भुगतान बैंक के माध्यम से तथा राज्य से राज्यांश बजट के माध्यम से प्राप्त कर मुख्यालय स्तर से ही समस्त भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(v) योजना अधिकारी प्रत्येक माह योजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा कृषि निदेशक एवं शासन को प्रगति से अवगत करायेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(vi) उप कृषि निदेशक/मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा सोलर पम्पों की स्थापना से लाभों/प्रगति विषयक (सामाजिक/आर्थिक) ''सफलता की कहानियों'' को संग्रहीत की जायेगी तथा समय-समय पर मुख्यालय को फोटाग्राफ सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) विभाग द्वारा पूर्व में स्थापित किये गये एवं वर्तमान में स्थापित किये जाने वाले सोलर पम्प से कृषकों के बढ़े हुए सिंचित क्षेत्रफल एवं उनकी उत्पादकता में हुई वृद्धि के आंकड़ों को वास्तविक रूप से प्राप्त किये जाने की सुदृढ़ व्यवस्था विभाग के पोर्टल पर बनायी जाये, जिसका रिफ्लेक्शन राज्य आय में भी प्रदर्शित हो सके तथा योजना की लोकप्रियता व उपयोग की वास्तविक स्थिति को भी ज्ञात किया जा सके तथा व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए आधार की अनिवार्यता भी सुनिश्चित की जाये।

15- योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन:-

सोलर पम्प की स्थापना के उपरान्त इसके अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु रेन्डम आधार पर 5 प्रतिशत सत्यापन जनपदीय उप कृषि निदेशक, 2 प्रतिशत मण्डलीय अभियन्ता एवं मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक तथा मुख्यालय से नामित टास्क फोर्स अधिकारियों द्वारा कम से कम 02 सोलर पम्प का सत्यापन किया जाए। रेन्डम आधार पर सत्यापन करते समय यह ध्यान रखा जाये कि सत्यापन हेतु चयनित सोलर पम्प पूर्व में किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस प्रकार सत्यापित न किया गया हो। आशय यह है कि रेन्डम आधार पर सत्यापन हेतु नवीन सोलर पम्प का चयन हो, जिससे अधिक से अधिक संख्या में रेन्डम सत्यापन हो सके। योजना का मूल्यांकन 03 वर्षों के पश्चात थर्ड पार्टी से स्वतंत्र रूप से कराया जाए।

कृपया उपर्युक्तानुसार संशोधित कार्ययोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवीनीकरण एवं ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7- निदेशक, नवीन एंव नवीनीकरण एवं ऊर्जा मंत्रालय (एम०एन०आर०ई०), लोधी रोड, नई दिल्ली।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- निदेशक, नेडा, गोमतीनगर, लखनऊ।
11- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
12- अपर कृषि निदेशक (तिलहन/दलहन), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदशक, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

14- सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पोर्टल पर व्यवस्था करने हेतु।

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनीत प्रकाश
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।